UPSM010032652022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), शामली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1906/2022

शमशाद पुत्र मजीद, निवासी ग्राम बुंटा, थाना गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली।

..... **आवेदक/अभियुक्त,**

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली। ..... **विपक्षी,**

मु०अ०सं० 104/2022,
धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट,
थाना गढ़ीपुख्ता, जिला शामली।

दिनांकः–18.11.2022

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **शमशाद पुत्र मजीद** की ओर से मु०अ०सं० 104/2022, अन्तर्गत धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट, थाना गढ़ीपुख्ता, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रभारी निरीक्षक थाना गढ़ीपुख्ता कर्मवीर सिंह अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था की देखरेख व रोकथाम अपराध व तलाश वांछित/वारन्टी व मय एक किता अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट जिलाधिकारी, शामली का गैंगलीडर गुफरान उर्फ गुफ्फू पुत्र अशफाक आदि पांच नफर लाकर दाखिल किया व तहरीर किया कि दौराने भ्रमण ज्ञात हुआ कि थाना क्षेत्र में गैंगलीडर गुफरान उर्फ गुफ्फू पुत्र अशफाक ने अपने गैंग के अन्य सदस्यों शमशाद पुत्र मजीद, जमील पुत्र मंजूर, वारिसा पत्नी जमील व अमजद पुत्र जमील के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है, जो अन्तर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय है, गौकशी जैसी घटना को अन्जाम देते हैं, जो गौवध कर सामाजिक अपराध कर समाज में आक्रोश व सामाजिक सदभाव को खराब करने का कार्य किया है तथा गौमांस की बिक्री कर अवैध धन अर्जित कर रहे हैं तथा गैंगलीडर भविष्य में भी अपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गौवध की घटना कारित कर सकते हैं, जिस कारण इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति आसानी से रिपोर्ट लिखवाने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। इस गैंग के आपराधिक क्रियाकलापों पर अंकुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है, जिनका जनहित में स्वतंत्र रहना न्यायोचित नहीं है तथा इनके द्वारा कारित अपराध गैंगचार्ट में अंकित है। इनका यह कृत्य उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत दण्डनीय अपराध है। फलस्वरूप प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर द्वारा थाना गढ़ीपुख्ता पर अभियुक्तगण गुफरान उर्फ गुफ्फू, शमशाद, जमील, वारिसा व अमजद के विरूद्ध अन्तर्गत

धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम मामला पंजीकृत कराया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा कतई झूठा व गलत फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त न तो किसी गिरोह का सदस्य है, न ही किसी गिरोह को चलाता है। आवेदक/अभियुक्त ने न तो किसी व्यक्ति को भय में डालकर धन अर्जित किया है, न ही समाज विरोधी क्रियाकलाप में भाग लिया है। गैंगचार्ट में दिखाये गये मुकदमे में आवेदक/अभियुक्त जमानत पर है। जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

5. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को गैंग का सदस्य होना बताया गया है तथा पत्रावली में सलंग्न गैंगचार्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना गढ़ीपुख्ता में मु०अ०सं० 11/2022, अन्तर्गत धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमे में आरोप पत्र संख्या 18/2022 दिनांकित 12.04.2022 प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण पर षडयन्त्र करके गौवध कर उसकी बिक्री करने जैसे अपराध करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त के पुनः किसी अपराध में संलिप्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **शमशाद पुत्र मजीद** की ओर से मु०अ०सं० 104/2022, अन्तर्गत धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट, थाना गढ़ीपुख्ता, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(सीमा वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
शामली।
18.11.2022